न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 35/2011 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अनवान

1. श्री अमरसिंह पिता सज्जनसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) मृतक के बजाए
   1. ईश्वरसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
   2. गणपतसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
   3. मोहनसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
   4. रेवतसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
   5. लाला कंवर पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
   6. अन्तर कंवर पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी करणजी की खेड़ी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर
2. श्री मंगनीराम पिता हजारी लुहार निवासी सातलियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

दिनांक 15.11.2019

:: निर्णय::

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बाबत कराये जाने नक्शे में दुरूस्ती हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया। जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3.07.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करण जी की खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा में स्थित साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में अंकित आराजी नं0 439, 440 के उत्तर में हाल आराजी नं0 438/913 को नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की उसी अनुसार हाल नक्श में तरमिम किये जाने हेतु तहसीलदार सहाड़ा को आदेश की प्रति दिनांक 01.12.2015 को भिजवाई गई। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा पटवार हल्का

Scanned by CamScanner

सातलियास को आदेश की पालना हेतु भेजा गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 02.08.2017 को आदेश की पालना किये जाने के संबंध में तहसीलदार सहाड़ा को भिजवाई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा हाल आराजी नं0 441 को चरनोट के बजाए खातेदारी एवं आराजी नं0 438/913 को खातेदारी के बजाए चरनोट दर्ज कराई जाने के संशोधित आदेश जारी होने पर ही आदेश की पालना किया जाना संभव बताया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा दिनांक 03.08.2017 को संशोधित आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.09.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर संशोधित आदेश जारी करने बाबत् निवेदन किया। जिसका तहसीलदार सहाड़ा(पेरोकार सरकार) द्वारा दिनांक 27.08.2019 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर नकल प्रति प्रार्थी को दिलाई गई। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब मेंद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित आदेश जारी किये जाने के व्यक्तव्य को दोहराया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज , जवाब, पर्चा मौका रिपोर्ट के विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पूर्व में स्वीकार किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट में संशोधित किया जाना उचित समझता हूँ। अतः संशोधन स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

अतः एव

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम करण जी की खेड़ी पटवार हल्का सातलियास तहसील सहाड़ा में स्थित साबिक नक्शे के अनुसार हाल आराजी नं0 441 रकबा 1.05 हे0 किस्म बीड़ मे से 0.65 हे0 भूमि आराजी नं0 439, 440 से लगती हुई खातेदारी एवं आराजी नं0 438/913 को खातेदारी के बाजए चरनोट दर्ज किये जाने का संशोधित आदेश दिये जाता है तहसीलदार सहाड़ा उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.11.15 17:35:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: